

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001

दुरभाष/Phones: 2415091-95 फ़ैक्स/Fax: (0294) 2522548

Email: admed@dmg-raj.org

क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/वन अवधि वृद्धि/ऋषभदेव/2017/ 1024-92 दिनांक -21.07.2017

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0/उदयपुर/ जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/
2. अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान) मु0/उदयपुर/ जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/बीकानेर
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, मु0/II/III जयपुर/ जोधपुर/भीलवाड़ा/ बीकानेर/ कोटा/ भरतपुर/ अजमेर/ राजसमंद/ उदयपुर
4. खनि अभियन्ता, जयपुर/ अलवर/ झूझनू/ सीकर/ अजमेर/ ब्यावर / मकराना/ नागौर/ भरतपुर/ करौली/ धौलपुर/ कोटा/ रामगंजमंडी/ बूंदी-1/ II/ आमेट/ राजसमन्द-1/ II/ भीलवाड़ा/ बिजोलिया/ चित्तौडगढ़/ उदयपुर/ डूंगरपुर / बॉसवाड़ा / प्रतापगढ़/ सोजत सिटी/ जालौर/ बाडमेर/ जोधपुर/ सिरोही/ बीकानेर / श्रीगंगानगर/ जैसलमेर/
5. सहायक खनि अभियन्ता, सावर/ गोटन/ टोंक/ कोटपुतली/ नीमकाथाना/ बालेसर/ निम्बाहेड़ा/ दौसा/ बारां/ झालावाड़/ रूपवास/ सवाईमाधोपुर/ चुरू/ हनुमानगढ़/ सलुम्बर/ ऋषभदेव

विषय:- वन भूमि / अरावली में आने वाले खननपट्टों/ क्वारीलाइसेंस में एमएमसीआर 2017 के नियम 9 (3) व 10 (3) के अन्तर्गत खननपट्टा / क्वारी लाइसेंस अवधि वृद्धि के कम में ।


प्रसंग:- शासन पत्र क्रमांक: प.14 (7) खान/ग्रुप-2/86-पार्ट जयपुर दिनांक 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका सं. 202/95 (गोडावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में अरावली हिल्स के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 16.12.2002 के बाद अरावली हिल्स में स्वीकृत खननपट्टे/क्वारीलाइसेंस, कन्टेम्प्ट पिटिशन (सी) 412/2004 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2005 एवं आई.ए. नं. 828 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2010 की अवहेलना में आने वाले तथा शासन एवं निदेशालय द्वारा अरावली हिल्स में बन्द/प्रतिबन्धित खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस को छोड़कर अरावली हिल्स में स्थित अन्य खननपट्टों / क्वारी लाइसेंस में अप्रधान खनिज रियायती नियमावली,2017 के नियम 9 (3) व 10 (3) के अनुसार अवधि वृद्धि की जावें ।

इसी प्रकार वन भूमि में स्थित खननपट्टा/ क्वारी लाइसेंस जो उपरोक्तानुसार या अन्य सक्षम न्यायालयों / सरकार के आदेशों से प्रतिबन्धित है, को छोड़कर शेष खननपट्टा/ क्वारी लाइसेंस में भी अप्रधान खनिज रियायती नियमावली,2017 के नियम 9 (3) व 10 (3) के तहत अवधि वृद्धि की जाकर वन अनारक्षण की अवधि वृद्धि के प्रस्ताव सात दिवस में निदेशालय को भिजवावें परन्तु यह सुनिश्चित किया जावें कि जिन प्रकरणों में मूल वनारक्षण की अवधि समाप्त हो गई हो, तो ऐसे मामलों में अनारक्षण की अवधि वृद्धि के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जावें।


भवदीय,


(डी.एस.मरू)
निदेशक खान

क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/वन अवधि वृद्धि/ऋषभदेव/2017/ 1093

दिनांक - 21 .07.2017

प्रतिलिपि:- संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 18.07.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(ए0एल0शेख)

अतिरिक्त निदेशक खान
पर्यावरण एवं विकास